

29.10.2025:-पत्रावली पेशी मे ली गई। अभिषेकगण उपस्थित।
वादी अधिवक्ता द्वारा वाद-पत्र मे कोई कार्यवाही न
चाहते हुए फर्द अहकाम पर not press का अंकन
किया गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया।
बाद अवलोकन पाया कि वकील वादी द्वारा
वाद-पत्र को not press करने पर वाद-पत्र
वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली
नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल
दफतर हो।

Ar
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Notpress
Ar Kamesh
29.10.25 Adm
(अ.ग.कुमार)
बि.ग.